हर्षद जे. शाह और अन्य

बनाम

एल. आई. सी. ऑफ इंडिया एंड अन्य

4 अप्रैल, 1997

[एस. सी. अग्रवाल और जी. बी. पटनायक, जे. जे.]

अनुबंध अधिनियम, 1872: धारा 186 से 188 और 237

प्रीमियम के कारण बीमित व्यक्ति से ऋण लेना- चेक को भुनाने के बाद उक्त एजेंट ने बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद एल. आई. सी. के पास राशि जमा की। सुनिश्चित- इस बीच, पॉलिसी लैप्स एजेंट की नियुक्ति के पत्र के साथ- साथ विनियमन 8(4) ने एजेंट की ओर से प्रीमियम एकत्र करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया। एल. आई. सी.- एल. आई. सी. ने अपने आचरण से पॉलिसी धारकों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित नहीं किया कि एजेंट एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए अधिकृत थे। एजेंट एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने का न तो वास्तविक और न ही स्पष्ट अधिकार था- हालाँकि एल. आई. सी. अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्य' था लेकिन विनियमों में एक प्रावधान करते समय एजेंटों को प्रीमियम एकत्र करने से रोकता है एल. आई. सी. की ओर से यह नहीं कहा जा सकता है कि एल. आई. सी. ने निष्पक्ष रूप से या संविधान के भाग III- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, धारा 49- भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) विनियमों के अनुरूप कार्य नहीं किया था। 1972, रेगन 8- जीवन बीमा निगम (एजेंट) नियम, 1981

एल. आई. सी. का सामान्य अभिकर्ता- प्राधिकरण- की ओर से प्रीमियम प्राप्त करेगा एल. आई. सी.- एल. आई. सी. ने भी अपने आचरण से बीमित व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित नहीं किया कि अभिकर्ता एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए अधिकृत था- आयोजितः मामले की परिस्थितियों में, एजेंट से वाहक चेक प्राप्त करने में बीमित व्यक्ति एल. आई. सी. के अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर रहा था- पॉलिसी प्रीमियम के भुगतान में चूक के लिए समाप्त हो गई थी, मृतक बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी कर सकते थे एल. आई. सी. से कोई दावा नहीं करना- हालांकि, एल. आई. सी. ने पूरे पैसे वापस करने का निर्देश दिया एल. आई. सी. को प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ भुगतान की गई प्रीमियम राशि।

अभ्यास और प्रक्रियाः

अपीलार्थी द्वारा उठाए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आवश्यकता वाले पर्याप्त महत्व के प्रश्न का लागत पुरस्कार- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त अपीलार्थी का दावा, हालांकि राष्ट्रीय वाणिज्य मिशन द्वारा खारिज कर दिया गया- आयोजित किया गयाः मामले की परिस्थितियों में, अपील को खारिज करते हुए, एल. आई. सी. ने अपीलार्थी के लिए लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अपीलार्थी सं॰ 2 के पति ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 के माध्यम से दोहरे आकस्मिक लाभ के साथ चार बीमा पॉलिसियाँ निकालीं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.) के सामान्य अभिकर्ता उक्त पॉलिसियों के तहत प्रीमियम का भुगतान छमाही आधार पर किया जाता था। बीमित व्यक्ति ने पहला और दूसरा प्रीमियम जमा किया और तीसरा जमा नहीं किया। निर्धारित अवधि के भीतर अर्ध- वार्षिक प्रीमियम। इसके बाद,

उत्तरदाता संख्या 3 को सभी पर अर्ध- वार्षिक प्रीमियम के लिए एक वाहक चेक प्राप्त हुआ चार नीतियाँ। चेक को प्रत्यर्थी संख्या 3 के बेटे द्वारा भुनाया गया था और प्रीमियम की राशि बीमित व्यक्ति की एक घातक दुर्घटना में मृत्यु के एक दिन बाद जमा की गई थी, अपीलार्थी संख्या 2, बीमित व्यक्ति की विधवा ने, पॉलिसियों के तहत नामांकित व्यक्ति के रूप में, एल. आई. सी. को इस आधार पर दावा प्रस्तुत किया कि अनुग्रह अवधि के भीतर भी अर्धवार्षिक प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसियां समाप्त हो गई थीं। अपीलार्थी सं॰ 2 ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। राज्य आयोग ने कहा कि अधिक व्यवसाय एकत्र करने के लिए एल. आई. सी. के एजेंट या तो नकद या चेक के माध्यम से पॉलिसीधारकों से प्रीमियम एकत्र करते हैं और फिर एकत्र किए गए धन को एल. आई. सी. के कार्यालय में जमा करते हैं और यह कि विभागीय निर्देश के बावजूद कि एजेंट प्रीमियम एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, यह प्रथा सीधे एल. आई. सी. प्रशासन की जानकारी में चल रही थी। राज्य आयोग उनका विचार था कि जब एल. आई. सी. एजेंट द्वारा पॉलिसीधारकों से धन स्वीकार करने की प्रथा मौजूद है और एजेंट द्वारा अपनी क्षमता और अधिकार में धन एकत्र किया जाता है तो उचित निष्कर्ष यह था कि एल. आई. सी. ने पॉलिसीधारक के प्रति अपनी सेवा में लापरवाही बरती थी। राष्ट्रीय कॉन सुमेर विवाद निवारण आयोग ने दायर अपील को खारिज कर दिया याचिकाकर्ता ने इसलिए यह अपील की गई है।

इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या बीमित व्यक्ति द्वारा एल. आई. सी. के सामान्य अभिकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में प्रीमियम का भुगतान बीमाकर्ता को भुगतान के रूप में माना जा सकता है ताकि बीमित व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन किया जा सके।

अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि एल. आई. सी. ने अपने आचरण ने बीमित सहित पॉलिसीधारकों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था कि एजेंट एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए अधिकृत थे, कि अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 237 के तहत स्पष्ट प्राधिकरण के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए और यह कि एल. आई. सी., संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" होने के नाते, संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकारों की सीमा के भीतर कार्य करना चाहिए।

प्रत्यर्थी- एल. आई. सी. की ओर से यह तर्क दिया गया कि नियुक्ति पत्र में प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने की शर्त संख्या 3 एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम एकत्र करने से, उसके पास एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं था; भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 1972 के विनियम 8 (4) में व्यक्त प्रावधान को देखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 का भी कोई निहित अधिकार नहीं था।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. एजेंसी के कानून के तहत, जैसा कि इंग्लैंड में लागू होता है किसी अभिकर्ता का अधिकार (i) वास्तविक या (ii) प्रत्यक्ष हो सकता है। वास्तविक अधिकार सहमति की अभिव्यक्ति से उत्पन्न होता है कि एजेंट को प्रिंसिपल द्वारा स्वयं एजेंट को दिए गए प्रिंसिपल के लिए जवाब देना या कार्य करना चाहिए। यह व्यक्त किया जा सकता है यदि यह पूरी तरह से या आंशिक रूप से शब्दों या लेखन के माध्यम से दिया गया है या यह तब निहित हो सकता है जब कानून द्वारा इसे दोनों पक्षों के संबंधों और व्यवहार पर कानून द्वारा दी गई व्याख्या के कारण उसे दिया गया प्रमुख माना जाता है। निहित प्राधिकरण आकस्मिक प्राधिकरण के रूप में उत्पन्न हो सकता है,

अर्थात, स्पष्ट रूप से अधिकृत गतिविधि के लिए जो कुछ भी आवश्यक या सामान्य रूप से आकस्मिक है उसे करने का अधिकार, या सामान्य प्राधिकरण, अर्थात, जो कुछ भी करने का अधिकार संबंधित प्रकार के एजेंट के पास आमतौर पर करने का अधिकार होगा, या प्रथागत प्राधिकरण, यानी, ऐसे लागू व्यावसायिक रीति- रिवाजों के अनुसार कार्य करने का अधिकार जो उचित हो। अभिकर्ता का अधिकार विशेष मामले की परिस्थितियों से भी निहित हो सकता है। [628- ई- एच]

1.2. अभिकर्ता का अधिकार स्पष्ट है जहाँ यह एक के परिणामस्वरूप होता है प्रिंसिपल द्वारा तीसरे पक्ष को दी गई अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष प्राधिकार के सिद्धांत में यह धारणा शामिल है कि वास्तव में कोई अधिकार नहीं है। यह एक एजेंट का अधिकार है जैसा कि दूसरों को दिखाई देता है। इस सिद्धांत के तहत जहां एक प्रमुख प्रतिनिधित्व करता है, या कानून द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है, कि दूसरे के पास अधिकार है, वह खिलाफ बाध्य हो सकता है। प्राधिकरण के भीतर उस अन्य व्यक्ति के कार्यों द्वारा तीसरा पक्ष जो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वास्तव में उस व्यक्ति को ऐसा नहीं दिया था प्राधिकरण या निर्देश द्वारा प्राधिकरण को सीमित कर दिया था जो ज्ञात नहीं किया गया था तीसरा पक्ष प्रत्यक्ष प्राधिकार की धारणा अनिवार्य रूप से सीमित है। प्रधान और तीसरे पक्ष के बीच संबंध पद नहीं है भारत में कानून बहुत अलग है। इस संदर्भ में धारा 186 से 188 और 237 अनुबंध अधिनियम, 1872 प्रासंगिक हैं। [629- ए- डी]

एजेंसी पर बोस्टेड, 15 वीं संस्करण, अनुच्छेद 22, पीपी. 92 से 94 तक, संदर्भित।

2. बीमा अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत प्रीमियम हो सकता है बीमाकर्ताओं या उन पर कार्य करने वाले बीमा एजेंट को बीमाकृत द्वारा भुगतान किया

जाना बीमाकर्ताओं की ओर से और यदि अभिकर्ता के पास इसे प्राप्त करने का अधिकार है भुगतान बीमाकर्ताओं को बाध्य करता है प्राधिकरण को एक एक्सप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण; यह परिस्थितियों से निहित हो सकता है। [629- एफ- जी]

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम 25, पी. पी. 254 पैरा 460, संदर्भित।

3.1. तत्काल मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक शर्त थी जो उसे एकत्र करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती थी एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम न ही प्रत्यर्थी संख्या 3 का कोई निहितार्थ था एक्सप्रेस को देखते हुए एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम एकत्र करने का अधिकार भारतीय जीवन निगम (अभिकर्ता) के विनियम 8 (4) में निषेध विनियम, 1972 जो 1981 में एक नियम बन गया और राजपत्र में प्रकाशित हुआ। [629- एच; 630- ए- बी]

3.2. राज्य आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कोई मामला नहीं था अपीलार्थियों द्वारा स्थापित कि एल. आई. सी. ने अपने आचरण से प्रेरित किया था बीमाकृत सहित पॉलिसीधारक, यह विश्वास करने के लिए कि एजेंट (सहित प्रत्यर्थी संख्या 3) की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए अधिकृत थे एलआईसी न ही अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री है जो इस तरह के कार्यों का समर्थन कर सके केवल इस तथ्य से कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्राप्त किया था बीमित व्यक्ति से वाहक चेक और उसे भुनाने के बाद बैंक ने उक्त राशि एल. आई. सी. के पास जमा की थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि एल. आई. सी. ने बीमित व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए एल. आई. सी. द्वारा अधिकृत है। इसलिए, धारा 237 के अंतर्गत स्पष्ट प्राधिकरण का सिद्धांत भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 को इस मामले के तथ्यों में

लागू नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से जब एल. आई. सी. ने एक स्पष्ट प्रावधान करने में सावधानी बरती हो। विनियमों/नियमों में, जो प्रकृति में वैधानिक हैं, यह दर्शाता है कि अभिकर्ता एल. आई. सी. की ओर से कोई धन एकत्र करने या कोई जोखिम स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और वे ऐसा केवल तभी एकत्र कर सकते हैं जब वे ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हों। [630- ई- एच; 631- ए- सी]

4.1. यह सच है कि एल. आई. सी., अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' होने के नाते संविधान को संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकारों की सीमा के भीतर कार्य करना चाहिए। लेकिन इस संवैधानिक दायित्व का कोई महत्व नहीं है। वर्तमान मामले से संबंधित एल. आई. सी. अपनी देनदारी को अस्वीकार करने में कार्य कर रहा है। इसके द्वारा बनाए गए विनियमों/नियमों के प्रावधान के अनुसार जिसमें एजेंटों को एल. आई. सी. की ओर से धन एकत्र करने से प्रतिबंधित किया गया है। उक्त प्रावधान लोक हित में किया गया है ताकि निगम को किसी एजेंट की ओर से किसी भी धोखाधड़ी से बचाया जा सके। यह नहीं कहा जा सकता है कि विनियमों/नियमों में ऐसा प्रावधान करते हुए और उसी के अनुसार कार्य करते हुए एल. आई. सी. ने संविधान के भाग III के तहत निष्पक्ष रूप से या अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य नहीं किया है। [631- डी- एफ]

एल. आई. सी. ऑफ इंडिया और अन्य बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र और अन्य [1995] 5 एस. सी. सी. 482, संदर्भित।

4.2. निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अपीलार्थी संख्या 2 ब्याज का भुगतान प्रीमियम की राशि प्राप्त होने की तारीख से किया जाएगा ध्यान रखें। इस तथ्य के लिए कि अपीलकर्ता राज्य आयोग के समक्ष सफल हुए थे और उनके द्वारा उठाए गए

प्रश्न पर्याप्त महत्व के हैं, इस न्यायालय के प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्णय की आवश्यकता है, अपीलकर्ताओं को एक राशि का भुगतान रु. 10,000 लागत से करेगा। ब्याज और लागत के साथ प्रीमियम की राशि का भुगतान एक महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। [631- जी- एच; 632- ए- बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 7202-7203/1996

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के एफ. ए. सं. 280 और 323/1992 का निर्णय और आदेश दिनांकित 26.07.1994 से।

अपीलार्थियों की ओर से नरेश एस. माथुर और गोपाल सिंह।

हरीश एसं॰ साल्वे, के. के. शर्मा, सी. के. सासी और कैलाश वासदेव उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस. सी. अग्रवाल जे. द्वारा दिया गया था।

विशेष अवकाश द्वारा इन अपीलों में जो प्रश्न विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या बीमित व्यक्ति द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सामान्य अभिकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में प्रीमियम का भुगतान [संक्षेप में 'एल. आई. सी.' के लिए] बीमाकर्ता को भुगतान के रूप में माना जा सकता है ताकि बीमित व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन हो सके। निम्नलिखित तथ्यों पर सवाल उठता हैः

अपीलकर्ता सं॰ 2 के पति जसवंतराई जी. शाह, जिन्हें इसके बाद 'बीमाकृत' के रूप में संदर्भित किया गया है, ने 6 मार्च, 1986 को श्री चतुर्भुज एच. शाह [प्रतिवादी सं॰ 3] द्वारा से दोहरी आकस्मिक लाभ के साथ रुपये 25,000/- के लिए चार बीमा पॉलिसियां निकालीं, जो एल. आई. सी. [प्रतिवादी सं॰ 1] के एक सामान्य एजेंट थे।

उक्त पॉलिसियों के तहत प्रीमियम का भुगतान छमाही आधार पर किया जाता था। बीमित व्यक्ति द्वारा जमा किया गया प्रथम छमाही वार्षिक प्रीमियम 6 सितंबर, 1986 को जमा किया गया था और द्वितीय छमाही वार्षिक प्रीमियम 6 मार्च, 1987 को देय था, लेकिन इसे निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था। 4 जून, 1987 को प्रत्यर्थी संख्या 3 ने बीमित व्यक्ति से मुलाकात की और उसे प्राप्त किया। उनसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मलाड, बॉम्बे पर सभी चार पॉलिसियों पर अर्धवार्षिक प्रीमियम के लिए 2,730/- रुपये का 4 जून, 1987 का एक वाहक चेक लिया गया। चेक को प्रतिवादी संख्या 3 के बेटे ने 5 जून, 1987 को भुनाया था। प्रीमियम की उक्त राशि प्रत्यर्थी एसं॰ 3 द्वारा 10 अगस्त, 1987 को एल. आई. सी. में जमा की गई थी। इस बीच 9 अगस्त, 1987 को बीमित व्यक्ति एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। बीमित व्यक्ति की विधवा, अपीलकर्ता संख्या 2 ने, पॉलिसियों के तहत नामित व्यक्ति के रूप में, उक्त चार पॉलिसियों के आधार पर एल. आई. सी. को दावा प्रस्तुत किया, लेकिन एल. आई. सी. द्वारा इस दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि 6 मार्च, 1987 को अनुग्रह अवधि के भीतर देय अर्धवार्षिक प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसियां समाप्त हो गई थीं। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत और मुख्य रूप से उपभोक्ता हित के संवर्धन और संरक्षण के लिए समर्पित सोसायटी, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी [अपीलकर्ता संख्या 1] के साथ अपीलकर्ता संख्या 2 ने अहमदाबाद में गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें अपीलकर्ता सं. 2 को 4,32,000/- रुपये के भुगतान के लिए दावा किया गया था। उक्त दावे में 1,00,000/- रुपये चार पॉलिसियों के तहत 6 जून, 1987 से 31 मार्च, 1991 तक दोहरे आकस्मिक लाभ के लिए देय 25,000/- रुपये, दोहरे आकस्मिक लाभ के लिए देय 25,000/- रुपये, बीमित व्यक्ति के आश्रितों को हुई झुंझलाहट, पीड़ा, कठिनाई

और अपमान के लिए मुआवजे के रूप में 6 जून, 1987 से 31 मार्च, 1991 तक उपरोक्त राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में देय 25,000/- रुपये, बीमित व्यक्ति के आश्रितों को हुई पीड़ा, कठिनाई और अपमान के लिए मुआवजे के रूप में। उक्त शिकायत को गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा बॉम्बे में महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिसे इसके बाद 'राज्य आयोग' के रूप में संदर्भित किया गया है) को स्थानांतरित कर दिया गया था।

राज्य आयोग के समक्ष अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा बीमित व्यक्ति से एकत्र किए गए प्रीमियम की राशि उसके द्वारा सामान्य अभिकर्ता द्वारा एकत्र किए गए प्रीमियम की ओर से एकत्र की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि यह एल. आई. सी. द्वारा प्राप्त की गई थी। यह कहा गया था कि एजेंट प्रीमियम राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। राज्य आयोग ने 5 जून, 1992 के अपने फैसले में एल. आई. सी. को आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चार पॉलिसियों के संबंध में दावे का निपटारा करने और पॉलिसियों को जीवित रखने के लिए आवश्यक ब्याज की राशि, यदि कोई हो, को काटने के बाद अपीलकर्ता संख्या 2 को दावे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। राज्य आयोग ने कहा कि अधिक व्यवसाय एकत्र आदेशने के लिए एल. आई. सी. के एजेंट या तो नकद या चेक के माध्यम से पॉलिसीधारकों से प्रीमियम एकत्र आदेशते हैं और फिर इस तरह एकत्र किए गए धन को एल. आई. सी. के कार्यालय में जमा आदेशते हैं और यह प्रथा विभागीय निर्देशों के बावजूद सीधे एल. आई. सी. प्रशासन की जानकारी में चल रही थी कि एजेंट प्रीमियम एकत्र आदेशने के लिए अधिकृत नहीं हैं। राज्य आयोग का विचार था कि जब एल. आई. सी. एजेंट द्वारा पॉलिसीधारकों से धन स्वीकार करने की प्रथा मौजूद है और एजेंट द्वारा उसकी क्षमता और अधिकार में धन एकत्र किया जाता है, तो उचित निष्कर्ष यह था कि एल. आई. सी. ने पॉलिसीधारक के प्रति अपनी सेवा में लापरवाही

बरती थी। राज्य आयोग के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलकर्ताओं के साथ- साथ प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा अपील दायर की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (इसके बाद 'राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित) ने 26 जुलाई, 1994 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बीमा अभिकर्ता बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए बीमित व्यक्ति से वाहक चेक प्राप्त करने में एल. आई. सी. के अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर रहा था और न ही यह माना जा सकता है कि एल. आई. सी. को बीमा अभिकर्ता द्वारा प्रीमियम के लिए वाहक चेक प्राप्त होने की तारीख 4 जून, 1987 को प्रीमियम प्राप्त हुआ था, भले ही उसने बीमित व्यक्ति की मृत्यु के एक दिन बाद 10 अगस्त, 1987 को एल. आई. सी. में इसे जमा किया था। राष्ट्रीय आयोग के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें दायर की हैं।

यह विवादित नहीं है कि बीमित व्यक्ति की चार बीमा पॉलिसियों पर तीसरी छमाही का प्रीमियम 6 मार्च, 1987 को देय हो गया था और बीमा पॉलिसियों में निर्धारित एक महीने की अनुग्रह अवधि के भीतर इसका भुगतान नहीं किया गया था। बीमा पॉलिसी में निर्धारित शर्तों की शर्त संख्या 2 में यह कहा गया है कि यदि छूट के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है। अपीलार्थियों का मामला यह है कि चूंकि 4 जून, 1987 को प्रत्यर्थी संख्या 3, जो एल. आई. सी. के एजेंट थे, को 2,730/- रुपये के लिए वाहक चेक द्वारा 4 जून, 1987 को भुगतान किया गया था, इसलिए अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसियां समाप्त नहीं हुईं और किसी भी स्थिति में उक्त पॉलिसियों को प्रीमियम राशि के विलंबित भुगतान के लिए देय ब्याज के भुगतान पर पुनर्जीवित किया जा सकता है। दूसरी ओर, एल. आई. सी. का मामला यह है कि

प्रत्यर्थी संख्या 3 को एल. आई. सी. द्वारा पॉलिसियों में बीमित व्यक्ति से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था और बीमित व्यक्ति द्वारा 4 जून, 1987 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को 2,730 रुपये का चेक सौंपने को बीमित व्यक्ति द्वारा 4 जून, 1987 को एल. आई. सी. को प्रीमियम का भुगतान नहीं माना जा सकता है। उक्त पॉलिसियों पर प्रीमियम का भुगतान एल. आई. सी. को केवल 10 अगस्त, 1987 को किया गया था, लेकिन इससे पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु 9 अगस्त, 1987 को हो गई थी और इसलिए, प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण समाप्त होने वाली पॉलिसियों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका था। एल. आई. सी., इस संदर्भ में, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की खंड 49 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एल. आई. सी. द्वारा बनाए गए भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) विनियम, 1972 (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) पर निर्भरता रखता है। अभिकर्ताओं के कार्यों से संबंधित विनियम 8 और उक्त विनियम के खंड (3) और (4) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

> "(3) प्रत्येक अभिकर्ता, पहले से ही सुरक्षित व्यवसाय को संरक्षित करने की दृष्टि से, उन सभी व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाए रखेगा जो उसद्वारा से निगम के पॉलिसीधारक बन गए हैं औरः
>
> (क) प्रत्येक पॉलिसीधारक को अपनी पॉलिसी के संबंध में नामांकन या असाइनमेंट करने और इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करने की सलाह देता है;
>
> (बी) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि प्रीमियम की प्रत्येक किस्त पॉलिसीधारक द्वारा अनुग्रह अवधि के भीतर निगम को प्रेषित की जाए;

(ग) किसी पॉलिसी के लैप्स होने या उसे पेड- अप पॉलिसी में बदलने से रोकने का प्रयास करना; और

(घ) दावेदारों को दावा प्रपत्र भरने और आम तौर पर दावों के निपटान के संबंध में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने में सभी उचित सहायता प्रदान करना।

(4) इन विनियमों में निहित किसी भी बात को किसी एजेंट को कोई धन एकत्र करने या निगम के लिए या उसकी ओर से कोई जोखिम प्रतिग्रहण करना करने या निगम को किसी भी तरह से बाध्य करने के लिए कोई अधिकार प्रदान करने के लिए नहीं माना जाएगा।

बशर्ते कि एक एजेंट को निगम द्वारा ऐसी शर्तों पर पॉलिसियों के तहत नवीनीकरण प्रीमियम एकत्र करने और भेजने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं। "

जीवन बीमा निगम [संशोधन] अधिनियम, 1981 [1981 का अधिनियम 1] द्वारा, खंड 48 की उप-खंड (2) में खंड (सी.सी.) जोड़ा गया था और इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार को एल. आई. सी. के एजेंट प्रदान करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जो अधिनियम के तहत निर्धारित दिन पर एल. आई. सी. के कर्मचारी और एजेंट बने और अधिनियम की खंड 49 में संबंधित प्रावधान जो एल. आई. सी. को उस संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता था, को हटा दिया गया था। खंड 48 की उप- खंड (2-ए) के आधार पर, जिसे 1981 के अधिनियम 1 द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था, यह प्रावधान किया गया था कि जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू विनियम और अन्य प्रावधान, निगम के कर्मचारियों और एजेंटों की सेवा के नियमों और

शर्तों के संबंध में, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अधिनियम के तहत नियत दिन पर एल. आई. सी. के कर्मचारी और एजेंट बने, उन्हें उप-खंड (2) के खंड (सी. सी.) के तहत बनाए गए नियम माना जाएगा और अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, तदनुसार प्रभावी होंगे, उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की खंड 48 (2ए) द्वारा शुरू किए गए कानूनी काल्पनिक नियम जीवन बीमा निगम (एजेंट) नियम (इसके बाद संदर्भित) बन गए।

एल. आई. सी. की ओर से यह भी कहा गया है कि 5 दिसंबर, 1962 के नियुक्ति पत्र में सामान्य एजेंट के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति की शर्तों में से एक थीः

> "10. एक परिवीक्षाधीन अभिकर्ता के रूप में आप धन एकत्र करने, जोखिम प्रतिग्रहण करना करने या निगम को किसी अन्य तरीके से बाध्य करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, सिवाय इसके कि "एजेंटों को संकेत" नामक पुस्तिका में बताए गए प्रथम प्रीमियम और शुल्क के लिए जमा राशि एकत्र करने के लिए, और न ही आपको प्रभागीय प्रबंधक की लिखित पूर्व अनुमति के अलावा, आपके अपने या आपके बहुत करीबी रिश्तेदारों जैसे पत्नी या नाबालिग बच्चों, या बड़े बच्चों के अलावा अन्य व्यक्तियों के जीवन पर नीतियों के तहत, या यदि वे एक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, या अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों के जीवन पर ऐसे बहुत करीबी रिश्तेदारों की नीतियों में नियुक्त होने के लिए अधिकृत या अधिकृत किया गया है। आप प्रीमियम के लिए भुगतान किए गए धन की रसीदें एकत्र करने या पारित करने के लिए भी अधिकृत नहीं हैं, जिसके संबंध में

संबंधित निगम के शाखा कार्यालय को प्रेषण किया जाना चाहिए और निगम के आधिकारिक प्रपत्र में रसीद प्राप्त की जानी चाहिए। किसी भी अनधिकृत संग्रह के संबंध में, आप संबंधित पक्ष के एक एजेंट के रूप में कार्य करेंगे न कि निगम के एजेंट के रूप में और अकेले आप इस तरह की अनधिकृत कार्रवाई के परिणामों के लिए पक्ष को जवाबदेह होंगे।"

विनियमों/विनियमों के विनियम/नियम 8 में निहित उपरोक्त प्रावधानों और उन शर्तों के खंड 10 के आधार पर, जिन पर प्रत्यर्थी संख्या 3 को अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, एल. आई. सी. का दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को एल. आई. सी. द्वारा बीमित व्यक्ति से प्रीमियम एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और 4 जून, 1987 को बीमित व्यक्ति से 2,730 रुपये का चेक प्राप्त करने में प्रत्यर्थी संख्या 3 की कार्रवाई को एल. आई. सी. की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रीमियम की प्राप्ति नहीं माना जा सकता है और इसलिए उक्त भुगतान को 4 जून, 1987 को एल. आई. सी. को प्रीमियम के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है और जहां तक एल. आई. सी. का संबंध है, प्रीमियम का भुगतान मृत्यु के बाद केवल 10 अगस्त, 1987 को किया गया था।

बीमा पॉलिसी में शर्त संख्या 2 में यह प्रावधान किया गया था कि "यदि छूट के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है। "वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि की अनुमति एक महीने की थी। बीमित व्यक्ति की पॉलिसियों पर अर्धवार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए उक्त छूट अवधि 6 अप्रैल, 1987 को समाप्त

हो गई थी। बंद की गई पॉलिसियों के पुनरुद्धार के लिए बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या 3 निम्नलिखित प्रावधान करती है।

> "3. बंद होने का पुनरुद्धारःयदि पॉलिसी समाप्त हो गई है, तो इसे बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन पहले अवैतनिक प्रीमियम की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तारीख से पहले, निगम की संतुष्टि के लिए निरंतर बीमायोग्यता का प्रमाण जमा करने पर और निगम द्वारा समय- समय पर अर्ध- वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर ब्याज के साथ प्रीमियम के सभी बकाया अवशिष्ट किया जा सकता है। निगम के पास बंद की गई नीति के पुनरुद्धार को प्रतिग्रहण करना या अप्रतिग्रहण करना करने का अधिकार सुरक्षित है। बंद की गई पॉलिसी का पुनरुद्धार निगम द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही प्रभावी होगा और विशेष रूप से जीवन बीमित को सूचित किया जाएगा।"

इस शर्त को ध्यान में रखते हुए बीमित व्यक्ति की पॉलिसियों के पुनरुद्धार के मामले पर विचार केवल एल. आई. सी. की संतुष्टि के लिए निरंतर बीमायोग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने और एल. आई. सी. द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज के साथ प्रीमियम के सभी बकाया के भुगतान पर ही किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, पॉलिसियों के पुनरुद्धार का सवाल तभी उठ सकता है जब बीमाधारक के जीवनकाल के दौरान, यानी 9 अगस्त, 1987 से पहले एल. आई. सी. को प्रीमियम अवशिष्ट किया गया हो। इसलिए, इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या बीमित व्यक्ति द्वारा एल. आई. सी. को 4 जून, 1987 को अर्धवार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया था, जब वाहक ने 2,730/- रुपये का बीमाकृत द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को

चेक वितरित किया जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया था या 10 अगस्त, 1987 को जब 2,730/- रुपये एल. आई. सी. में जमा किया गया था, जैसा कि एल. आई. सी. द्वारा दावा किया गया था। यह सवाल उठाता है कि क्या 2,730/- रुपये की राशि की प्राप्ति प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा चेक द्वारा 2,730/- रुपये को एल. आई. सी. द्वारा अपने एजेंट से उक्त राशि की प्राप्ति माना जा सकता है।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश एस. माथुर ने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में पॉलिसीधारक उन स्थानों पर रह रहे हैं जहां एल. आई. सी. का कोई शाखा कार्यालय नहीं है और एल. आई. सी. के पास प्रीमियम जमा करने की सुविधा उचित दूरी के भीतर उपलब्ध नहीं है, एल. आई. सी. में एजेंटों के लिए पॉलिसीधारकों से प्रीमियम एकत्र करना और बाद में एल. आई. सी. कार्यालय में जमा करना प्रचलित प्रथा रही है और चूंकि एजेंटों को प्रीमियम की राशि पर कमीशन प्राप्त होता है जो वे पॉलिसियों पर एकत्र करते हैं, इसलिए एजेंटों द्वारा प्रीमियम की प्राप्ति को एल. आई. सी. के एजेंटों के रूप में उनके अधिकार के दायरे में एक अधिनियम के रूप में माना जाना चाहिए और नियमों/नियमों में प्रीमियम प्राप्त करने के लिए एजेंटों के अधिकार पर लगाई गई सीमा को माना जाना चाहिए। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि वर्तमान मामले में बीमाकृत द्वारा 4 जून, 1987 को प्रतिवादी संख्या 3 को वाहक चेक द्वारा प्रीमियम का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 3 को एल. आई. सी. के एजेंट के रूप में किया गया माना जाना चाहिए।

दूसरी ओर, एल. आई. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया है कि विनियमन/नियम 8 के साथ- साथ प्रतिवादी संख्या 3 को एजेंट के रूप में नियुक्त करने के पत्र में खंड 10 को देखते हुए

यह नहीं कहा जा सकता है कि एल. आई. सी. ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम एकत्र करने का अधिकार दिया था और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा 4 जून, 1987 को बीमित व्यक्ति से 2,730 रुपये के चेक की प्राप्ति को एल. आई. सी. की ओर से प्राप्त भुगतान नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने, उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, अभिकर्ता के अधिकार के दायरे को नियंत्रित करने वाली एजेंसी से संबंधित कानून पर भरोसा रखा है।

एजेंसी के कानून के तहत, जैसा कि इंग्लैंड में लागू होता है, एक एजेंट का अधिकार हो सकता हैः (i) वास्तविक या (ii) प्रत्यक्ष।

वास्तविक अधिकार सहमति की अभिव्यक्ति से उत्पन्न होता है कि उसे प्रधान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए या प्रधान के लिए कार्य करना चाहिए जो प्रधान द्वारा स्वयं अभिकर्ता को दिया जाता है। यह व्यक्त किया जा सकता है यदि यह पूरी तरह से या आंशिक रूप से शब्दों या लेखन के माध्यम से दिया गया है या यह तब निहित हो सकता है जब कानून द्वारा इसे दोनों पक्षों के संबंधों और व्यवहार पर कानून द्वारा दी गई व्याख्या के कारण उसे दिया गया प्रमुख माना जाता है। निहित प्राधिकरण आकस्मिक प्राधिकरण के रूप में उत्पन्न हो सकता है, अर्थात, स्पष्ट रूप से अधिकृत गतिविधि के लिए जो कुछ भी आवश्यक या सामान्य रूप से आकस्मिक है उसे करने का अधिकार, या सामान्य प्राधिकरण, अर्थात, जो कुछ भी करने का अधिकार संबंधित प्रकार के एजेंट के पास आमतौर पर करने का अधिकार होगा, या प्रथागत प्राधिकरण, यानी, ऐसे लागू व्यावसायिक रीति- रिवाजों के अनुसार कार्य करने का अधिकार जो उचित हो। अभिकर्ता का अधिकार विशेष मामले की परिस्थितियों से भी निहित हो सकता है।

अभिकर्ता का अधिकार स्पष्ट है जहां यह प्रधान द्वारा तीसरे पक्ष को दिए गए प्रकटीकरण का परिणाम है। प्रत्यक्ष प्राधिकार के सिद्धांत में यह धारणा शामिल है कि वास्तव में कोई अधिकार नहीं है। यह एक एजेंट का अधिकार है जैसा कि दूसरों को दिखाई देता है। इस सिद्धांत के तहत जहां एक प्रधान प्रतिनिधित्व करता है, या कानून द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है, कि दूसरे के पास अधिकार है, वह किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ उस अधिकार के भीतर उस दूसरे व्यक्ति के कार्यों से बाध्य हो सकता है जो उस व्यक्ति के पास प्रतीत होता है, हालांकि उसने वास्तव में उस व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं दिया था या तीसरे पक्ष को ज्ञात नहीं किए गए निर्देशों द्वारा अधिकार को सीमित कर दिया था। प्रत्यक्ष प्राधिकार की धारणा अनिवार्य रूप से प्रधान और तीसरे पक्ष के बीच संबंधों तक ही सीमित है। [देखिएः बोस्टेड ऑन एजेंसी, 15 वीं संस्करण, अनुच्छेद 22, पृष्ठ 92 से 94]।

भारत में कानून में स्थिति बहुत अलग नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की खंड 186 में कहा गया है कि किसी एजेंट का अधिकार व्यक्त या निहित हो सकता है। एक प्राधिकरण को व्यक्त किया जाता है जब इसे बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा दिया जाता है और एक प्राधिकरण को निहित कहा जाता है जब इसे मामले की परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना है और बोली गई या लिखित चीजें, या व्यवहार की सामान्य प्रक्रिया, मामले की परिस्थितियों को गिना जा सकता है [धारा 187] खंड 188 में निर्धारित किया गया है कि किसी कार्य को आदेशने का अधिकार रखने वाले एजेंट को हर उस वैध कार्य को आदेशने का अधिकार है जो ऐसा कार्य आदेशने के लिए आवश्यक है। खंड 237 में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई एजेंट, बिना किसी अधिकार के, अपने प्रधान की ओर से तीसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है या दायित्व निभाता है, तो प्रधान ऐसे कार्यों या दायित्वों से बाध्य है यदि उसने अपने शब्दों या आचरण से ऐसे तीसरे व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए

प्रेरित किया है कि ऐसे कार्य और दायित्व एजेंट के अधिकार के दायरे में थे। बीमा अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ताओं या बीमाकर्ताओं की ओर से कार्य करने वाले बीमा एजेंट या बीमाकर्ताओं की ओर से कार्य करने वाले बीमा एजेंट को प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है और यदि एजेंट के पास इसे प्राप्त करने का अधिकार है तो भुगतान बीमाकर्ताओं को बाध्य करता है। प्राधिकरण को एक स्पष्ट प्राधिकरण होने की आवश्यकता नहीं है; यह परिस्थितियों से निहित हो सकता है। [देखिएः हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल. 25, पी 254, पैरा 460]

तत्काल मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने का स्पष्ट अधिकार था क्योंकि 5 दिसंबर, 1962 के नियुक्ति पत्र में एक शर्त थी जो उसे एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम एकत्र करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती थी, न ही यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम एकत्र करने का निहित अधिकार था क्योंकि 1972 में एल. आई. सी. ने एक विनियमन [विनियमन 8 (4)] बनाया था, जो 1981 में एक नियम बन गया, जिसमें एजेंटों को एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम एकत्र करने से प्रतिबंधित किया गया था। इससे पता चलता है कि अभिकर्ता द्वारा उसके व्यक्त अधिकार के प्रभावी निष्पादन के लिए प्रीमियम का संग्रह आवश्यक या सामान्य रूप से आकस्मिक नहीं था। राजपत्र में प्रकाशित विनियमों/नियमों में इस स्पष्ट निषेध को देखते हुए एल. आई. सी. द्वारा अपने एजेंटों को एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम एकत्र करने के लिए अधिकृत करने वाले निहित प्राधिकरण का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

एकमात्र सवाल यह है कि क्या एल. आई. सी. को प्रत्यक्ष प्राधिकरण के सिद्धांत के आधार पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। श्री माथुर ने उक्त सिद्धांत को अपनाया है और भारतीय अनुबंध अधिनियम की खंड 237 पर भरोसा किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि अपने एजेंटों द्वारा से प्रीमियम प्राप्त करने के अपने आचरण से, एल. आई. सी. ने पॉलिसीधारकों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था कि पॉलिसीधारकों से प्रीमियम प्राप्त करने में एजेंटों के कार्य एजेंटों के अधिकार के दायरे में थे। श्री माथुर ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि प्रतिवादी संख्या 3 को बीमित व्यक्ति की ओर से 10 अगस्त, 1987 को एल. आई. सी. में प्रीमियम के लिए 2,730/- रुपये की राशि जमा करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, हम पाते हैं कि राज्य आयोग के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से दायर की गई शिकायत में अपीलार्थियों द्वारा ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं किया गया था कि एल. आई. सी. ने अपने आचरण से बीमित सहित पॉलिसीधारकों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था कि अभिकर्ता (प्रत्यर्थी संख्या 3 सहित) एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए अधिकृत थे। न ही अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री है जो अपीलकर्ताओं की ओर से अनुरोध किए गए निवेदन का समर्थन कर सकती है कि अपने आचरण से एल. आई. सी. ने बीमित सहित पॉलिसीधारकों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था कि एजेंट एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए अधिकृत थे। अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस एकमात्र परिस्थिति पर भरोसा किया गया है, वह 10 अगस्त, 1987 को एल. आई. सी. द्वारा 2,730/- रुपये की राशि की प्राप्ति है। इस संबंध में, श्री साल्वे का निवेदन है कि बीमित व्यक्ति के नाम पर एल. आई. सी. द्वारा 2,730 रुपये की उक्त राशि की रसीद जारी करने से यह संकेत नहीं मिलता है कि राशि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा से प्राप्त हुई थी और उक्त रसीद के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि एल. आई. सी. ने बीमित व्यक्ति

को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 3 एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम की राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत था। हम इस समर्पण में काफी योग्यता पाते हैं। केवल इस तथ्य से कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 5 लाख रुपये का वाहक चेक प्राप्त किया था। 4 जून, 1987 को बीमित व्यक्ति से 2,730/- रुपये और 5 जून, 1987 को बैंक से इसे भुनाने के बाद 10 अगस्त, 1987 को एल. आई. सी. के पास उक्त राशि जमा की थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि एल. आई. सी. ने बीमित व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को एल. आई. सी. द्वारा एल. आई. सी. की ओर से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की खंड 237 में अंतर्निहित स्पष्ट प्राधिकरण के सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों में लागू किया जा सकता है, विशेष रूप से जब एल. आई. सी. ने विनियमों/नियमों में एक स्पष्ट प्रावधान करने में सावधानी बरती है, जो वैधानिक प्रकृति के हैं, जो दर्शाता है कि एजेंट एल. आई. सी. की ओर से कोई धन एकत्र करने या कोई जोखिम प्रतिग्रहण करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और वे ऐसा केवल तभी एकत्र करते हैं जब वे ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हों।

श्री माथुर ने एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम अन्य बनाम अन्य मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया है। उपभोक्ता शिक्षा अन्य अनुसंधान केंद्र अन्य अन्य। 1995 (5) एस. सी. सी. 482, जहाँ इस न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि चूंकि एल. आई. सी. संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित जनादेश को देखते हुए निष्पक्ष रूप से कार्य करना उसकार्य करने का कर्तव्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एल. आई. सी. को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' होने के नाते, संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकारों की सीमा के भीतर कार्य करना चाहिए। लेकिन हम यह समझने में असमर्थ

हैं कि इस संवैधानिक दायित्व का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव कैसे पड़ता है। अपनी देनदारी को अस्वीकार आदेशते हुए एल. आई. सी. अपने द्वारा बनाए गए विनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य आदेश रहा है जिसके तहत एजेंटों को एल. आई. सी. की ओर से धन एकत्र आदेशने से प्रतिबंधित किया गया है। उक्त प्रावधान लोक हित में किया गया है ताकि निगम को किसी एजेंट की ओर से किसी भी धोखाधड़ी से बचाया जा सके। यह नहीं कहा जा सकता है कि विनियमों/नियमों में ऐसा प्रावधान करते हुए और उसी के अनुसार कार्य करते हुए एल. आई. सी. ने संविधान के भाग III के तहत निष्पक्ष रूप से या अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य नहीं किया है।

उपरोक्त कारणों से, हम अपीलार्थियों के दावे को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है कि बीमित व्यक्ति से 2,730/- रुपये का वाहक चेक प्राप्त करने में प्रतिवादी संख्या 3 एल. आई. सी. के एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम एल. आई. सी. को चार बीमा पॉलिसियों पर एल. आई. सी. को भुगतान किए गए प्रीमियम की पूरी राशि अपीलकर्ता संख्या 2 को प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश देते हैं। ब्याज का भुगतान प्रीमियम की राशि प्राप्त होने की तारीख से किया जाएगा। हमारी यह भी राय है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता राज्य आयोग के समक्ष सफल हुए थे और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न पर्याप्त महत्व के हैं, इस न्यायालय के प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्णय की आवश्यकता है। अपीलकर्ताओं को 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) लागत के रूप में ब्याज और लागत के साथ प्रीमियम की राशि का भुगतान एक महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।

वी.एस.एस.

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।